रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253752
SG-DL-E-19042024-253752

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19
No. 123]	DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 19

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

फा.सं. 50(07)/डीसी/स्था./2023/एसएस/एचएफडब्ल्यू/420.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना सं0 फा0 53/143/94—एचएंडएफडब्ल्यू/4064 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे

4. **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची
औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) के पद के भर्ती नियम

1.	**पदनाम**	:	**वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान)**
2.	**पदों की संख्या**	:	10*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (35400–112400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **6 (क) में महत्वपूर्ण विवरणः–** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य** **योग्यताः** **अनिवार्य** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान / फार्मेसी /जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दवाओं के रसायनिक विश्लेषण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव अथवा **अनुभव** लागू नहीं

			(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी/विज्ञान (रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान सहित) में स्नातक की उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दवाओं के रसायनिक विश्लेषण के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव
			वांछनीय
			योग्यताः लागू नहीं **अनुभव :** लागू नहीं
			योग्यता मानक टीप अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं एसएससी/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **अनुभव मानक टीप** यदि चयन की किसी अवस्था में एसएससी/ संक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए एसएससी/ सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यताः हाँ
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	02 अभ्युक्तिः डीआर हेतु : सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित परिवीक्षा को सफतापूर्वक पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति** — **प्रतिशत** सीधी भर्ती — 90 संयुक्त प्रतिनियक्ति/ पदोन्नति — 10
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**संयुक्त (प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति):** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों, विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त

			या सांवधिक संगठनों के अधिकारीः– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन स्तर–5 के पदों में 06 वर्ष की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। (3) वेतन स्तर–4 के पदों में 10 वर्ष की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। (ख) कालम 7 में यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। **टीप 1:** वेतन स्तर–4 में विभागीय प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) जिसने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो, को बाहरी उम्मीदवारों के साथ माना जायेगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है, इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टीप 2:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** **1.** अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) – **अध्यक्ष** **2.** विभाग का प्रशासनिक सचिव – **सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (श0वि0) – **सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविंद कुमार, उप–सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th April, 2024

F. No. 50(7)/DC/Estt./2023/SS/HFW/420.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of the Notification No. F.53/143/94-H&FW/4064 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the

method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant (Chemistry) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement-**
(i) These rules may be called the Drugs Control Department, Senior Scientific Assistant (Chemistry) Recruitment Rules, 2024

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.-**No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Senior Scientific Assistant (Chemistry) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Chemistry)	10* (2024) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group-'B'	6 Remark: Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **6(a) Crucial description:** The crucial date for determining the age-limit

					shall be as advertised by the Competent Authority

Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	
7		8	9	10	
Essential		Age :No Edu. Qual : Yes	02 Remark: Note for DR: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority	**Method**	**Percentage**
Qualification: Essential (A)Post Graduate Degree in Chemistry/ Pharmacy /Bio-Chemistry from a Recognized University with One Year Experience in the field of chemical Analysis of Drugs from a Recognized Institution OR (B) A Bachelor's Degree in Pharmacy/ Science (with Chemistry, Botany and Zoology) from a Recognized University with Three years Experience in the field of Chemical Analysis of Drugs from a Recognized Institution	**Experience:** NA			Direct recruitment	90
				Composite (Deputation/ Promotion)	10
Desirable					
Qualification: NA	**Experience:** NA				
Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**				

Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C./Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified	The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the S.S.C./ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of the selection the S.S.C./ Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them				

In case of Recruitment by promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
11	12		13
Composite (Deputation/ Promotion): The Officers of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Universities or Recognised Research Institutions, Public sector Undertakings, Autonomous or Statutory Organizations: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With 06 years of regular service in posts in pay level 5 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With 10 years regular service in posts in the pay Level 4 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed in column 7. Note 1: The departmental Laboratory Assistant (Chemistry) in pay Level 4	**Departmental Promotion Committee** NA	**Departmental Confirmation Committee** 1. Addl Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home) (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department (Member) 3. Special/ Addl Secretary (UD) (Member)	Consultation with UPSC is not necessary

with 10 years regular service in the grade and having the educational qualifications and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2**:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of the receipt of applications			

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

ARVIND KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.19 19:17:38 +05'30'